

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
9/3/17	<p>आवेदक/आरोपी <u>वीरू उर्फ वीरेन्द्रसिंह</u> की ओर से श्री <u>प्रवीण गुप्ता</u> अधिवक्ता ने एक जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 438/439 जा0फो0 का पेश किया।</p> <p>नकल संबंधित थाना प्रभारी की ओर भेजकर केश डायरी मय प्रतिवेदन बुलाया जाये/संबंधित अभिलेख बुलाया जावे।</p> <p>आवेदन विविध आपराधिक पंजी में दर्ज किया जावे।</p> <p>प्रकरण केश डायरी प्रतिवेदन/अभिलेख प्राप्ति/तर्क हेतु दिनांक <u>11/3/17</u> को पेश हो।</p> <p>पो सी आर्य विशेष न्यायाधीश (डकैती) मोहद जिला- भिण्ड (म.प्र.)</p>	
<p>11-3-17 12:30 To 12:45 P.M.</p>	<p>आरोपी/आवेदक वीरू उर्फ वीरेन्द्रसिंह द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता।</p> <p>अनावेदक शासन द्वारा श्री भगवानसिंह बघेल अपर लोक अभियोजक उपस्थित।</p> <p>अनावेदक द्वारा जमानत आवेदनपत्र का कोई लिखित जवाब पेश नहीं करना व्यक्त किया है।</p> <p>आरोपी/आवेदक वीरू उर्फ वीरेन्द्रसिंह के जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. पर उभयपक्ष को सुना गया।</p> <p>आरोपी/आवेदक वीरू उर्फ वीरेन्द्रसिंह के जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. पर उभयपक्ष को सुना गया।</p> <p>आरोपी/आवेदक वीरू उर्फ वीरेन्द्रसिंह का कहना है कि आवेदक की तबीयत खराब हो गयी थी और अन्य</p> <p>पो सी आर्य विशेष न्यायाधीश (डकैती) मोहद जिला- भिण्ड (म.प्र.)</p>	

मामले में जेल में बंद होने से वह तारीख पेशी पर नहीं आ सका था और न ही अपने अधिवक्ता को सूचना दे सका था, इसलिये उसके जमानत मुचलके दि०-०८/०७/२०१५ को निरस्त हुए थे, और दिनांक-२७/०८/२०१५ को आवेदक को फरार घोषित कर दिया गया। वह दिनांक-०७/०२/२०१७ से वर्तमान तक न्यायिक अभिरक्षा में है, विचारण में भी समय लगेगा, वह जमानत की शर्तों का पालन करेगा, नियमित प्रतिभूति पर छोड़े जाने बाबत आवेदन के समर्थन में दुर्गसिंह का शपथपत्र पेश किया गया है।

जबकि ए.जी.पी. का कथन है कि आरोपी/आवेदक वीरू उर्फ वीरेन्द्रसिंह द्वारा बताया गया कारण संतोषप्रद नहीं है वह कई पेशियों से अनुपस्थित होता आ रहा है। अतः उसका जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया, प्रकरण के अवलोकन से विदित होता है कि आरोपी/आवेदक वीरू उर्फ वीरेन्द्रसिंह दिनांक-३०/०६/२०१६ को अनुपस्थित था, जिसपर उसके जमानत मुचलके निरस्त किए गये थे और उसे गिरफ्तारी वारण्ट से आहूत किये जाने का आदेश पारित किया गया।

उक्त गिरफ्तारी वारण्ट के पालन में दि०-०५/१०/२०१६ को गिरफ्तारी वारण्ट पर आरोपी के फरार होने से फरारी साक्ष्य ली जाकर आरोपी/आवेदक वीरू उर्फ वीरेन्द्रसिंहसिंह को फरार घोषित किया गया। जारी किए गये स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट के पालन में दि०-१६/०१/२०१७ को पुलिस द्वारा आवेदनपत्र पेश करते हुए उसे प्रोडक्शन वारण्ट से तलब किए जाने का निवेदन किया, जिसपर से दि०-०७/०२/२०१७ को उसे प्रोडक्शन वारण्ट के पालन में पेश किया जिसे अभिरक्षा में लेकर जेल गोहद भेजा गया है।


आरोपी की अनुपस्थिति का कारण तबीयत खराब

14/3/17
पो सी आर्य
विशेष न्यायाधीश (डकैती)
गोहद जिला- भिण्ड (म.प्र.)

Order Sheet [Contd]

C.J.

Case No. **BA 103** of 20 **12** . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	<p>हो जाना बताया गया है, वह औपचारिक प्रकृति का प्रतीत होता है क्योंकि इसके संबंध में कोई भी दस्तावेजी प्रमाण नहीं है । यह भी उल्लेखनीय है कि वीरू उर्फ वीरेन्द्रसिंह डकैती न्यायालय गोहद में मात्र प्रोडक्शन वारण्ट के पालन में उपस्थित हुआ है, कभी भी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ है, बल्कि उसकी ओर से हाजिरी माफी आवेदनपत्र ही पेश होते रहे हैं । वीरू उर्फ वीरेन्द्रसिंह के लगातार अनुपस्थित रहने से प्रकरण की कार्यवाही विलंबित हुई है, आरोपी वीरू उर्फ वीरेन्द्रसिंह को जमानत का लाभ दिये जाने से उसके पुनः फरार होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।</p> <p>अतः प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए वाद विचार आरोपी/आवेदक वीरू उर्फ वीरेन्द्रसिंह की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र के माध्यम से जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है । बाद विचार जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-439 जा.फौ. गुण दोषों पर टीका टिप्पणी किए बिना निरस्त किया जाता है।</p> <p>आदेश की प्रति मूल प्रकरण के साथ संलग्न हो। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर दाखिल रिकॉर्ड हो।</p> <p style="text-align: center;"> (पी०सी० अर्य) विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद</p>	